

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2169] No. 2169] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2016/भाद्र 14, 1938

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2016/BHADRA 14, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितंबर, 2016

का.आ. 2866(अ).—केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 सितंबर, 2016 को वह तारीख नियुक्त करती है जबिक उक्त अधिनियम की धारा 124, धारा 125 की उपधारा (1) से (4), (6) [विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षा निधि के प्रशासन की रीति के संबंध में] और उपधारा (8) से (11) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 5/27/2013-आईईपीएफ (पार्ट)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2016

S.O. 2866(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints 7th September, 2016 as the date on which the provisions of section 124, sub-sections (1) to (4), (6) [with respect to the manner of administration of the Investor Education and Protection Fund] and (8) to (11) of section 125 of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/27/2013-IEPF (Part)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

4291 GI/2016